रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2018/श्रावण 8, 1940
No. 513] NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2018/ SHRAVANA 8, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 710(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वापक पदार्थ विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2001 को, जहां तक कि उनके संबंध निरीक्षक, उप कार्यालय अधीक्षक और आशुलिपिक श्रेणी–1 के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन केन्द्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो में निरीक्षक, उप कार्यालय अधीक्षक और आशुलिपिक श्रेणी–1 समूह 'ख' (अराजपत्रित) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो, निरीक्षक, उप कार्यालय अधीक्षक और आशुलिपिक श्रेणी–1 (समूह 'ख', अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर :- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंदीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. निरीक्षक	187* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	**(7)**
30 वर्ष से अनधिक। **टिप्पण 1 :** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री। **टिप्पण:** अभ्यर्थियों से नीचे उल्लिखित शारीरिक मानक रखना अपेक्षित होगा:- (क) पुरूष अभ्यर्थियों के लिए:- (I) शारीरिक मानक (न्यूनतम) (i) ऊंचाई: 157.5 से.मी. (गढ़वाली, असमी, गोरखा और अनुसूचित जनजाति की दशा में 5 से.मी. तक शिथिलनीय होगी) (ii) सीना: 81 से.मी. (न्यूनतम 5 से.मी. सहित फुलाने पर) (II) शारीरिक परीक्षण:- 15 मिनट में 1600 मीटर चलना और 30 मिनट में 8 कि.मी. साईकिल चलाना। (ख) महिला अभ्यर्थियों के लिए: (I) शारीरिक मानक (न्यूनतम) (i) ऊंचाई: 152 से.मी. और वजन 48 कि.ग्रा. (गढ़वाली, असमी, गोरखा और अनुसूचित जनजाति की दशा में ऊंचाई: 2.5 से.मी. और वजन 2 कि.ग्रा. तक शिथिलनीय होगी) (II) शारीरिक परीक्षण:- चलना: 20 मिनट में एक कि.मी., साईकिल चलाना: 25 मिनट में 3 कि.मी.। **टिप्पण** - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग (एस.एस.सी) के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	**(9)**	**(10)**
नहीं।	दो वर्ष।	1) 66.67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 2) 33.33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में के ऐसे उप-निरीक्षक के पद में से जिन्होने पंद्रह वर्ष की नियमित सेवा की हो और मंत्रालय द्वारा विहित सुसंगत क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	**(13)**
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. स्वापक पदार्थ आयुक्त/मुख्य कारखाना नियंत्रक -अध्यक्ष 2. उप स्वापक पदार्थ आयुक्त (पीएंडवी)/(प्रशा.) -सदस्य 3. सहायक/उप आय-कर आयुक्त -सदस्य	आवश्यक नहीं है।

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
2. उप कार्यालय अधीक्षक	30* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6	चयन

(6)	**(7)**
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष ।	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक में से प्रोन्नति जिन्होने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा विहित संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. स्वापक पदार्थ आयुक्त/मुख्य कारखाना नियंत्रक -अध्यक्ष 2. उप स्वापक पदार्थ आयुक्त (पीएंडवी)/(प्रशा.) -सदस्य 3. उप आय-कर आयुक्त -सदस्य	आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. आशुलिपिक श्रेणी-1	15* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6	चयन

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष ।	(i) 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। (ii) 80 प्रतिशत प्रतिनियुक्त (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है (आईएसटीसी) द्वारा

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में के ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-2 जिन्होने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी): केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्द्धसरकारी/ कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे आशुलिपिक:- (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 या समतुल्य में दस वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1--** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2--** प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. स्वापक पदार्थ आयुक्त/मुख्य कारखाना नियंत्रक -अध्यक्ष 2. उप स्वापक पदार्थ आयुक्त (पीएंडवी)/(प्रशा.) -सदस्य 3. उप आय-कर आयुक्त -सदस्य	आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए – 12018/12/2013 – प्रशा. -III.बी (पार्ट)]

बी. के. मंथन, अवर सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2018

G.S.R. 710(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Narcotics Department (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2000 in so far they relate to the posts of Inspector, Deputy Office Superintendent and Stenographer Grade-I, except as respect things done or omitted to be done before the supersession of the said rules, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector, Deputy Office Superintendent and Stenographer Grade-I Group 'B' (Non-Gazetted) in the Central Bureau of Narcotics under the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue in the Ministry of Finance, namely

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Bureau of Narcotics Inspector, Deputy Office Superintendent, Stenographer Grade-I (Group 'B', Non–Gazetted) posts Recruitment Rules, 2018

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of Post, Classification, Level in Pay Matrix. -** The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment,** Age limit, Qualification, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and consultation with Union Public Service Commission relaxes any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government for time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of posts**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether Selection post or Non-Selection post**	**Age limit for direct Recruits**	**Educational and other qualification required for direct recruits**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.Inspector.	187 *(2018) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘B’ (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Level – 7 in the pay matrix.	Selection.	Not exceeding 30 years. **Note1:** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government. **Note2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: Degree from a recognised University/Institute. **Note:** The candidate shall be required to possess the physical standard as prescribed below: - **(a) For male candidates:-** (I)Physical standard (Minimum) (i) Height: 157.5 cms. (relaxable by 5 cms, in the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of Schedule Tribe) (ii) Chest: 81 cms. (fully expanded with minimum of 5 cms.) (II) Physical Test- Walking 1600 metres in 15 minutes and cycling 8 kms. in 30 minutes. **(b)For Female Candidates: -** (I) Physical standard (Minimum) Height - 152 cms. and Weight - 48

						kgs. (Height relaxable by 2.5 cms. and weight by 2 kgs. for Garhwalies, Assamese, Gorkhas and members of the Scheduled Tribe). (II) Physical Test: - Walking: 1 km. in 20 minutes, Cycling: 3 kms. in 25 minutes. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission (S.S.C.) for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**	**In case of recruitment by promotion /deputation / absorption, grade from which promotion/ deputation /absorption to be made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
No.	2 years.	1) 66.67 % by Direct recruitment. 2) 33.33% by Promotion.	**Promotion:** From the post of Sub-Inspectors in level – 4 in the pay matrix with 15 years regular service and have completed mandatory training of 2-4 weeks in the relevant area as prescribed by the Ministry. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service.

If Departmental Promotion Committee Exist, what is its composition	**Circumstances in which UPSC is to be Consulted in making recruitment**
(12)	**(13)**
Group "B" Departmental Promotion Committee for considering promotion and confirmation consisting of :-	Not necessary.

1.Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories - Chairman 2.Deputy Narcotics Commissioner (P&V)/(Admn) - Member 3.Assistant/ Deputy Income–Tax Commissioner – Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.Deputy Office Superintendent.	30*(2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Level – 6 in the pay matrix.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two Years	100% by Promotion	**Promotion:** Promotion from UDC with ten years' regular service in level – 4 in the pay matrix and have successfully completed mandatory training of 2-4 weeks in the relevant area from the Institute to be prescribed by the administrative ministry. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group "B" Departmental Promotion Committee for considering promotion and confirmation consisting of:- 1. Narcotics Commissioner/ Chief Controller of Factories-Chairman 2. Deputy Narcotics Commissioner (P&V)/ (Admn.)-Member 3. Deputy Income –Tax Commissioner - Member	Not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.Stenographer Grade-I.	15*(2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Level – 6 in the pay matrix.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	2 years.	(i) 20 % by Promotion. (ii) 80 % by Deputation (Including Short Term Contract (ISTC)).	**Promotion:** Stenographer Grade II in level – 4 in the pay matrix with ten years' regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or Eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half

			of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (ISTC):** Stenographers under the Central Government/State Government/Union Territories/Recognized Research Institutions/Universities/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations: - (i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/Department; or (ii) with ten years regular service in level – 4 in the pay matrix or equivalent. **Note1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (ISTC). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note2:** Period of deputation (ISTC) including the period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

(12)	**(13)**
Group "B" Departmental Promotion Committee for considering promotion and confirmation consisting of :- 1.Narcotics Commissioner/Chief Controller of Factories - Chairman 2.Deputy Narcotics Commissioner (P&V)/(Admin.) - Member 3.Deputy Income –Tax Commissioner – Member.	Not necessary.

[F.No.A.12018/12/2013-Ad.III.B (Pt.)]
B.K.MANTHAN, Under Secy.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.08.03 18:40:12 +05'30'